न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 32/2019

वादीगण

1. आसुराम पुत्र रानाराम जाति भील निवासी केरलीसरा, पादरू तहसील सिवाणा जिला बाडमेंर
2. जैसाराम पुत्र मंगाराम
3. जबराराम पुत्र मोगाराम
4. सुरेश कुमार पुत्र आसुराम
5. हीराराम पुत्र जैसाराम जातियान भील निवासीयान ईटवाया, पादरू तहसील सिवाणा जिला बाडमेर।

प्रतिवादीगण

1. तारीया पुत्र मनरूपा
2. मृतक नरसा पुत्र तुलछा के कायम मूकाम वारीसान
   2/1 मोवन पुत्र नरसा
   2/2 रमेश पुत्र नरसा
   2/3 पोपट पुत्र नरसा
   2/4 सविता पुत्री नरसा
   2/5 शांता पत्नि नरसा
   2/6 रम्भा पुत्र नरसा
3. मुकेश पुत्र रेवा
4. वसना पुत्र रेवा
5. संगी पुत्री रेवा
6. दरिया पुत्री रेवा
7. भावना पुत्र रेवा
8. मंजू पत्नि रेवा
9. शंकरा पुत्र परखा
10. रतनी पुत्री परखा
11. पुरी पुत्री परखा
12. सोपू पुत्री परखा
13. दिनेश पुत्र डाई पत्नि समेराराम कौम भील, निवासी रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर
14. भूमिधारी तहसीलदारजी, रानीवाडा

दावा बाबत बंटवाड़ा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई
2. प्रतिवादी संख्या 1, 2/1, 2/2, 2/5, 4, 8, 9 के अधिवक्ता श्री वीरबहादूरसिंह देवड़ा
3. प्रतिवादी संख्या 14 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा

–: निर्णय :–

दिनांक 22.10.2021

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा रानीवाडा कला तहसील रानीवाडा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:01 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी नवीन खसरा नबंर 1499 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नबंर 1500 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 1501 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नबंर 1941 रकबा 0.94 हैक्टर, खसरा नबंर 1942 हैक्टर रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1943 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नबंर 1944 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा नबंर 1949 रकबा 1.21 हैक्टर जुमले रकबा 6.31 हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में बगदा वल्द उगरा, तारीया वल्द मनरूपा, नरसा वल्द तुलसा, मुकेश वसना पिसरान रेवा, संगी दरिया भावना पुत्रीया रेवा, मंजु पत्नि शंकरा वल्द परखा रतनी पुरी डाई सोपु पुत्रीीया परखा गवरी पत्नि परखा कौम भील साकिन देह खातेदार दर्ज है तथा जरिये ना.क.स. 1243 दिनांक 5.10.2010 विरासत के जरिये डायी पुत्री परखा फौत की बजाय दिनेश पुत्र डायी पत्नि समेराराम एवं गवरी पत्नि परखा फौत की बजाय शंकरा वल्द परखा मुकेश वसना पिसरान रेवा संगी दरिया भावना पुत्रीया रेवा मंजु पत्नि रेवा रतनी पुरी सोपी पुत्रीया परखा दिनेश पुत्र डायी पत्नि समेराराम कौम भील साकिन देह खातेदार के नाम इन्द्राज किया गया। नकल चालु जमाबंदी संलग्न दावा पेश है। उक्त पैरा में वर्णित आराजी को दावा में विवादीत आराजी के नाम से संबोधित किया जावेगा। उपरोक्त मौजा रानीवाडा कला के नवीन खसरा नबंर की सामलाती 1499 ,1500 ,1501, 1941 ,1942, 1943 ,1944 ,1949 जो पुराने खसरा नबंर 726 ,725 ,724, 1009, 1010 से नवसृजित हुये है। बंदौबस्त संवत् 2010 से 2029 में खातेदार अमरा पुत्र कला की 1/3 हिस्सा की खातेदारी की आराजी पुराने खसरा नबंर 726,725,724,1009,1010 में आई हुई थी। उक्त अमराराम को उगरा के नाम से भी जाना जाता था अर्थात अमराराम व उगरा दोनों ही नाम प्रचलित थे। अमरा उर्फ उगरा के फौत होने के बाद उसके एक मात्र पुत्र संतान बगदा पुत्र उगरा के नाम म्युटेशन का इन्द्राज हुआ तथा बगदा भी फौत हो चुके है, मगर बगदा के कायम मुकाम वारीसान जो कि वादीगण है, के नाम म्युटेशन का इन्द्राज हुआ है। बगदा की पत्नि दाडमी वादी संख्या 1 व बगदा के दो पुत्र व पुत्रीया वादी संख्या 2 से 5 है, जिनकी ओर से यह वाद पत्र पेश है।

2. वादीगण के हक पूर्वाधिकारी अमरा पुत्र कला थे तथा अमरा का उक्त विवादीत आराजी में 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था जो खतौनी बन्दौबस्त में दर्ज है। अमरा का नाम राजस्व रेकर्ड में कालान्तर में उगरा कर दिया गया उगरा व अमरा दोनों एक ही नाम होने के सबुत में बगदाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें बगदाराम की माता का नाम मोनीदेवी व बगदाराम के पिता का नाम उगराजी है, मोनीदेवी का मृत्यु प्रमाणपत्र जिसमें पति का नाम उगराराम है, जबकि मोनीदेवी ने वृद्धा अवस्था पेंशन मोनी पत्नि अमराराम के नाम से प्राप्त की है, जबकि वृद्धा अवस्था पेशन में लगे फोटो की तख्ती पर मोनी बेवा उगरा नाम दर्ज है। इसी प्रकार पोस्ट ऑफिस की पास बुक में नाम मोनी पत्नि अमराराम भील दर्ज किया हुआ है। इस प्रकार वादीगण अमरा उर्फ उगरा के कायम मुकाम वारीसान होने से वादीगण संख्या 1 से 5 उक्त विवादीत आराजी में से 1/3 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होने से 1/3 हिस्सा का बंटवाडा में प्राप्त करना चाहते है। उक्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के बीच विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ हैं मौके पर कब्जे काश्त की सुविधानुसार अपने हिस्से की आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या से 13 काबिज काश्त है। उक्त आराजी का विधिवत बंटवाडा नहीं होने से वादीगण को उक्त आराजी का विकास करने में बाधा आती है। इसलिये वादीगण उक्त आराजी का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार मेट्स बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा करवाना चाहते है। जिस हेतु यह दावा बाबत बंटवाडा का पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:01 IST
Reason: SelfAttested

3. विनायवाद सर्वप्रथम उस समय पैदा हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 13 को आपसी सहमति से उक्त आराजी का विधिवत बंटवाडा करवाने हेतु कई बार कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 13 ने उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा कराने में बहानेबाजी की। तत्पशात उस समय पैदा हुआ जब आज करीब 10 दिन पुर्व दिनांक 04.08.2019 को वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 13 को आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 13 ने वादीगण को आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने का मना कर दिया तथा वादीगण को उसके कब्जे काश्त की आराजी से लाठी के बल पर बैदखल करने व वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर स्थाई कब्जा कर वादीगण को बैदखल करने की एलानिया धमकी दी। तत्पचात वाद कारण निरन्तर जारी है। इस्तदुआ वादीगण है कि आराजी मौजा रानीवाडा कला तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नबंर 1499 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नबंर 1500 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1501 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नबंर 1941 रकबा 0.94 हैक्टर, खसरा नबंर 1942 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1943 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नबंर 1944 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा नबंर 1949 रकबा 1.21 हैक्टर जुमले रकबा 6.31 हैक्टर का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के बीच मौके पर कब्जे काश्त अनुसार मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा किया जाकर वादीगण को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 को 2/3 हिस्सा आराजी अलग–अलग बंट में अलग दी जावें तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद व लगान के निर्धारण हेतु तहसील रानीवाडा को तहरीर जारी की जावे। व इस आशय की डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे कि बाद बंटवाडा प्रतिवादी संख्या 1 से 13 उपरोक्त आराजी में से वादीगण के बंट की आराजी में उनके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में न तो स्वयं कोई दखल करे तथा नही किसी अन्य से कोई दखलंदाजी करावे

4. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 2/3, 2/4, 2/6, 3, 5 से 7 व 10 से 13 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व प्रतिवादी संख्या 1, 2/1, 2/2, 2/5, 4, 8, 9 की ओर अधिवक्ता श्री वीरबहादूरसिंह देवडा द्वारा इकबालिया जवाब दिया गया। जिनके तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की इस्तदुआ माफिक मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा किया जाता है तों उसमें हम प्रतिवादीगण संख्या 1, 2/1, 2/2, 2/5 ,4, 8 व 9 की पूर्ण सहमति हैं। वादीगण का वादपत्र माफिक इस्तदुआ डिक्री किया जावें। प्रतिवादी संख्या 14 राजपेरोकार द्वारा जवाब देने से मना करने पर जवाब बंद किया गया।

5. दिनांक 13.07.2021 को न्यायालय द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा में खाता संख्या 492 के खसरा नम्बर 1499 ,1500 ,1501, 1941 ,1942, 1943 ,1944 ,1949 रकबा क्रमश 0.17, 0.01, 1.46, 0.94, 1.01, 0.07, 1.44, 1.21 हेक्टेयर जूमले रकबा 6.31 हैक्टेयर के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/606 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/202[illegible]/[illegible]46 दिनांक 27.08.2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:01 IST
Reason: SelfAttested

6. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर को उपस्थित पक्षकारन को पढकर सुनाया गया। वादीगण व प्रतिवादी के अधिवक्ताओं को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के बीच बंटवाडा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र.स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	आसुराम पुत्र रानाराम कौम भील 1/5 सा. केरलीसरा पादरू तहसील सिवाणा (बाडमेर), जबराराम पुत्र मोगाराम कौम भील 1/5 सा. ईटवाया पादरू तहसील सिवाणा (बाडमेर), सुरेश कुमार पुत्र आसुराम कौम भील 1/5 तहसील सिवाणा (बाडमेर), जैसाराम पुत्र मंगाराम कौम भील 1/5 सा. ईटवाया पादरू तहसील सिवाणा (बाडमेर), हीरालाल पुत्र जैसाराम कौम भील 1/5 सा. ईटवाया पादरू तहसील सिवाणा (बाडमेर)	1501		0.1800 0.3533	चा.दो. जा.दो.	पीला	5.22 2.8264
		1942		0.64	बा.दो.		1.92
		1944		0.4767	बा.दो.		1.4301
		1949		0.42	बा.दो.		1.26
	कुल	4		2.07			12.656
2.	तारीया पुत्र मनरूपा कौम भील सा. देह खातेदार।	1501		0.1800 0.3533	चा.दो. जा.दो.	गुलाबी	5.2200 2.8264
		1941		0.22	बा.दो.		0.66
		1942		0.34	बा.दो.		1.02
		1943		0.07	बा.दो.		0.21
		1944		0.4667	बा.दो.		1.4001
		1949		.44	बा.दो.		1.32

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:01 IST
Reason: SelfAttested

	कुल	**06**		**2.07**			**12.656**
3.	शंकरा पुत्र परखा 1/6, दिनेश पुत्र डाई पत्नि समेराराम 1/6, पुरी पुत्री परखा 1/6, रतनी पुत्री परखा 1/6, सोपू पुत्री परखा 1/6, मुकेश पुत्र रेवा 1/36, वसना पुत्र रेवा 1/36, दरिया पुत्र रेवा 1/36, भावना पुत्र रेवा 1/36, संगी पुत्री रेवा 1/36, मंजू पत्नि रेवा 1/36 जातियान भील सा. देहखातेदार	1501		0.10	चा.दो.	हरा	2.90
				0.1667	जा.दो.		1.3336
		1941		0.3350	बा.दो.		1.005
		1944		0.2533	बा.दो.		0.7599
		1949		0.18	बा.दो.		0.54
	कुल	4		1.0350			6.5385
4.	पोपटलाल पुत्र नरसाराम 1/6 , मोहनलाल पुत्र नरसाराम 1/6, रमेशकुमार पुत्र नरसाराम 1/6, रम्भा पुत्री नरसाराम 1/6, सविता पुत्री नरसाराम 1/6, शान्तादेवी पत्नि नरसाराम 1/6 जातियान भील सा. देह खातेदार	1499		0.17	गै.मू. नाडा	आस मानी	0
		1500		0.01	गै.मू. बेरा		0
		1501		0.04 0.0467	चा.दो. जा.दो.		1.16 0.3736
		1941		0.3550	बा.दो.		1.0650
		1944		0.2433	बा.दो.		0.7299
		1949		0.17	बा.दो.		0.51
	कुल	**06**		**1.0350**			**3.8385**
5.	सामलाती खातेदार (रास्ते हेतु)	1501		0.04	जा.दो.	लाल	0.32
		1941		0.03	बा.दो.		0.09
		1942		0.03	बा.दो.		0.09
	कुल	**03**		**0.10**			**0.50**

7. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के बीच पृथक–पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा [illegible] प्रेषित किया जाता है। तथा उक्त बंटवाडा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या [illegible] से [illegible] के हक में प्राप्त आराजी के संबंध

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:01 IST
Reason: SelfAttested

में एक दुसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. आसुराम पुत्र रानाराम जाति भील निवासी केरलीसरा, पादरू तहसील सिवाणा जिला बाडमेंर 2. जैसाराम पुत्र मंगाराम 3. जबराराम पुत्र मोगाराम 4. सुरेश कुमार पुत्र आसुराम 5. हीराराम पुत्र जैसाराम जातियान भील निवासीयान ईटवाया, पादरू तहसील सिवाणा जिला बाडमेर।	**बनाम**	1. तारीया पुत्र मनरूपा 2. मृतक नरसा पुत्र तुलछा के कायम मूकाम वारीसान 2/1 मोवन पुत्र नरसा 2/2 रमेश पुत्र नरसा 2/3 पोपट पुत्र नरसा 2/4 सविता पुत्री नरसा 2/5 शांता पत्नि नरसा 2/6 रम्भा पुत्र नरसा 3. मुकेश पुत्र रेवा 4. वसना पुत्र रेवा 5. संगी पुत्री रेवा 6. दरिया पुत्री रेवा 7. भावना पुत्र रेवा 8. मंजू पत्नि रेवा 9. शंकरा पुत्र परखा 10. रतनी पुत्री परखा 11. पुरी पुत्री परखा 12. सोपू पुत्री परखा 13. दिनेश पुत्र डाई पत्नि समेराराम कौम भील, निवासी रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर 14. भूमिधारी तहसीलदारजी, रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 32/2019

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई, प्रतिवादी संख्या 14 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 1, 2/1, 2/2, 2/5, 4, 8, 9 की ओर से वकील श्री वीरबहादुरसिंह देवडा उपस्थित प्रतिवादी संख्या 2/3, 2/4, 2/6, 3, 5 से 7, 10 से 13 की ओर कोई उपस्थित नहीं होने एकपक्षीय कार्यवाही की गई। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र.स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
3.	आसुराम पुत्र रानाराम कौम भील 1/5 सा. केरलीसरा पादरू तहसील सिवाणा (बाडमेर), जबराराम पुत्र	1501		0.1800 0.1593	चा.दो. जा.दो.	पीला	5.22 2.8264

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:01 IST
Reason: SelfAttested

	मोगाराम कौम भील 1/5 सा. ईटवाया पादरू तहसील सिवाणा (बाडमेर), सुरेश कुमार पुत्र आसुराम कौम भील 1/5 तहसील सिवाणा (बाडमेर), जैसाराम पुत्र मंगाराम कौम भील 1/5 सा. ईटवाया पादरू तहसील सिवाणा (बाडमेर), हीरालाल पुत्र जैसाराम कौम भील 1/5 सा. ईटवाया पादरू तहसील सिवाणा (बाडमेर)	1942		0.64	बा.दो.		1.92
		1944		0.4767	बा.दो.		1.4301
		1949		0.42	बा.दो.		1.26
	कुल	**4**		**2.07**			**12.656**
4.	तारीया पुत्र मनरूपा कौम भील सा. देह खातेदार।	1501		0.1800 0.3533	चा.दो. जा.दो.	गुलाबी	5.2200 2.8264
		1941		0.22	बा.दो.		0.66
		1942		0.34	बा.दो.		1.02
		1943		0.07	बा.दो.		0.21
		1944		0.4667	बा.दो.		1.4001
		1949		0.44	बा.दो.		1.32
	कुल	**06**		**2.07**			**12.656**
3.	शंकरा पुत्र परखा 1/6, दिनेश पुत्र डाई पत्नि समेराराम 1/6, पुरी पुत्री परखा 1/6, रतनी पुत्री परखा 1/6, सोपू पुत्री परखा 1/6, मुकेश पुत्र रेवा 1/36, वसना पुत्र रेवा 1/36, दरिया पुत्र रेवा 1/36, भावना पुत्र रेवा 1/36, संगी पुत्री रेवा 1/36, मंजू पत्नि रेवा 1/36 जातियान भील सा. देहखातेदार	1501		0.10	चा.दो.	हरा	2.90
				0.1667	जा.दो.		1.3336
		1941		0.3350	बा.दो.		1.005
		1944		0.2533	बा.दो.		0.7599
		1949		0.18	बा.दो.		0.54
	कुल	4		**1.0350**			6.5385
6.	पोपटलाल पुत्र नरसाराम 1/6 , मोहनलाल पुत्र नरसाराम 1/6, रमेशकुमार पुत्र नरसाराम 1/6, रम्भा पुत्री नरसाराम 1/6, सविता पुत्री नरसाराम 1/6, शान्तादेवी पत्नि नरसाराम 1/6 जातियान भील सा. देह खातेदार	1499		0.17	गै.मू. नाडा	आस मानी	0
		1500		0.01	गै.मू. बेरा		0
		1501		0.04 0.0467	चा.दो. जा.दो.		1.16 0.3736
		1941		0.3550	बा.दो.		1.0650
		1944		0.2433	बा.दो.		0.7299

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:01 IST
Reason: SelfAttested

		1949		0.17	बा.दो.		0.51
	कुल	**06**		**1.0350**			**3.8385**
7.	सामलाती खातेदार (रास्ते हेतु)	1501		0.04	जा.दो.	लाल	0.32
		1941		0.03	बा.दो.		0.09
		1942		0.03	बा.दो.		0.09
	कुल	**03**		**0.10**			**0.50**

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22.10.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	3	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	1	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	**मौजाना**	2	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:01 IST
Reason: SelfAttested